न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :–पुखराज कांसोटिया (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 35/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मैसर्स उमा पॉलिमर्स लिमिटेड जरिए निदेशक सरिता लोढा पत्नि श्रीपालराज लोढा जाति ओसवाल निवासी सी–66, 67 शास्तीनगर जोधपुर		1. मनीष बाहेती पुत्र रामकिशन बाहेती जाति माहेश्वरी निवासी 44 सुभाषनगर पाल रोड जोधपुर 2. तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह अनुपस्थित

अप्रार्थी संख्या 1 ओर से:– अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा उपस्थित

दिनांक :– 13-5-2025

–:: निर्णय ::–

प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 104/23, रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में माननीय न्यायलय के समक्ष एक मुल वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के आधार पर प्रस्तुत कर साथ ही ग्राम मोगड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 104/23 की भूमि में मूल प्रकरण के निस्तारण तक स्थगन आदेश हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी उक्त भूमि का रेकडर्ड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 104/104 रकबा 0.2347 हैक्टेयर आई हुई है जो प्रार्थी की उक्त भूमि से सीमा लगती है। प्रार्थी का उक्त खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त अधिकार लंबे समय से चला आ रहा है, तथा शांतिपूर्वक अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग रहे है परंतु पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 104/104 रकबा 0.2347 हैक्टयर खातेदारी भूमि छोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 104/23 रकबा 0.3237 हैक्टयर की भूमि में प्रार्थी की सीमा में जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है, एवं दीवार बनाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थी की भूमि में दखलंअदाजी करने, जबरदस्ती कब्जा करने एवं पक्की दीवार बनाने का कोई हक व अधिकार नही है, एवं प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने एवं दीवार निर्माण करने से प्रार्थी अपने अधिकारो से वंचित हो जायेगा, तथा उसे बहुत बडा नुकसान एवं अपूरणीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नम्बर 104/23, रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

भूमि के किसी भी हिस्से में अप्रार्थी मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया ओर प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 24.05.2025 को अन्तरिम स्थगन आदेश दिया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा ने अपना वकालत नामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में हैं। जवाबदाता अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खसरा संख्या 104/23 में निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा हैं। मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु मौका रिपोर्ट पत्रावली में अवश्य ही तलब की जानी आवश्यक हैं जिससे कि निर्माण की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस कारण से बिना मौका रिपोर्ट तलब किए आवश्यक रूप से किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित नहीं है। जवाबदाता अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 104/104 के चारों तरफ दीवार बनी हुई हैं तथा प्रार्थी के खसरा संख्या 104/23 एवं जवाबदाता अप्रार्थी के खसरा संख्या 104/104 की मध्य माठ पर भी खसरा संख्या 104/104 की हद में जवाबदाता अप्रार्थी द्वारा अपनी सरहद में पक्की दीवार का निर्माण करवाया हुआ हैं जिस पर जवाबदाता अप्रार्थी काबिज हैं जवाबदाता अप्रार्थी के खसरा संख्या 104/104 एवं प्रार्थी के खसरा संख्या 104/23 की मध्य माठ पर दीवार निर्मित होने से प्रार्थी के खसरा संख्या 104/23 पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीनी द्वारा केवल मात्र जवाबदाता अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से यह मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा जवाबदाता अप्रार्थी के खसरा संख्या 104/104 की जायदाद को खरीद करने की बहुत ही जिज्ञासा थी जिसका जवाबदाता अप्रार्थी को अपनी उक्त जायदाद बेचान करने का ऑफर भी दिया गया था जिसको टूकरा देने के कारण से ही प्रार्थी द्वारा जवाबदाता अप्रार्थी को तंग व परेशान किया जा रहा हैं एवं अनावश्यक रूप से जवाबदाता अप्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 104/104 के उपयोग व कब्जा काश्त में दखल अंदाजी की जा रही हैं। जवाबदाता अप्रार्थी द्वारा नजरी नक्शा के मार्क ए से बी स्थान पर किसी प्रकार का कोई निर्माण वर्तमान में नहीं करवाया गया हैं बल्कि उक्त स्थान पर जवाबदाता अप्रार्थी अपने हक, हिस्से एवं हदोहद में ख.न. 104/104 की माठ पर वर्षों पूर्व ही दीवार का निर्माण करवाया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर होने से खरिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों का लोप करते हुए मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश होने के कारण प्रार्थना पत्र सवव्य खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
दूदू

प्रार्थना पत्र पर बहस वास्ते अनेक अवसर दिए गए किन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस नही की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य खेतों की सीमाओं को लेकर कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है तथा दोनो से खसरान् के बीच में पूर्व में ही माठ पर दिवार निर्मित हैं। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि ख.न. 104/23 एवं अप्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 104/104 पर विधिवत रूप से काबिज हैं और रेकर्डेड खातेदार की हैसियत से अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करे रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य के उक्त खसरान् की भूमि के सीमाओं को लेकर कोई विवाद प्रतीत नही होता है, साथ उक्त खसरों के बीच की माठ पर पूर्व से दिवार निर्मित है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि या अपनी भूमि की सीमा से आगे बढ़कर प्रार्थी की भूमि की माठ को तोड़कर अतिक्रमण किया हो। वादग्रस्त भूमियों ख.न. 104/23 व 104/104 पर कमश प्रार्थी एवं अप्राथी पृथक–पृथक खातेदार है एवं अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है साथ ही उक्त दोनो खसरान् के मध्य स्थित माठ पर पूर्व से ही दिवार बनी हुई जैसा कि अप्रार्थी ने अपने कथन में कहा तथा वर्तमान में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दिवार का निमार्ण नही किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त परिस्थितियो में पड़ौसी खातेदार को अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किये जाने नहीं है। दोनो पक्षकार को हिदायत दी जाती है एक दुसरे की हक हिस्से में दखलंदाजी नहीं करे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 13-05-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

पुखराज कांसोटिया आर ए एस
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

FORM No. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

of .... at ...... सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
24-2-25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 19-3-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
19-3-25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली बहस हेतु दिनांक 7-5-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	
-5-25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर है। अन्य कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 13-5-25 को पेश हो।	
13-5-25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आदेश अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	